

(153) ✓



न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या ... 153/20-21

धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

महेन्द्र ठाकुर वगै.

बनाम

कारु ठाकुर वगै.

18-12-20
08-01-21
22-01-21
05-02-21
19-02-21
05-03-21
19-03-21
09-04-21

स्थानीय पुलिस थाना: निमियोघाट रो प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा-झंझट, गाली-गलौज होते रहता है, जिससे काफी तनाव है जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 18/12/20 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

- 1 महेन्द्र ठाकुर
- 2 धनेश्वर ठाकुर
- 3 दिनेश ठाकुर

उम्र : 35 वर्ष पिता : जमुना ठाकुर
 उम्र : 30 वर्ष पिता : जमुना ठाकुर
 उम्र : 20 वर्ष पिता : जमुना ठाकुर

सभी ग्राम: लोहेडीह, थाना: निमियोघाट, जिला: गिरिडीह।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष

- 1 कारु ठाकुर
- 2 वैजनाथ ठाकुर
- 3 तिलक ठाकुर
- 4 भुनेश्वर ठाकुर
- 5 राजेश ठाकुर

उम्र : 59 वर्ष पिता: स्व. लच्छु ठाकुर
 उम्र : 45 वर्ष पिता : दुलार ठाकुर
 उम्र : 40 वर्ष पिता : दुलार ठाकुर
 उम्र : 35 वर्ष पिता : कारु ठाकुर
 उम्र : 30 वर्ष पिता : कारु ठाकुर

सभी ग्राम: लोहेडीह, थाना: निमियोघाट, जिला: गिरिडीह।

लेखापित

24.11.2020

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

18.12.20

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिना प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दि० 08.01.21 को उपस्थापित करें।

08.01.21

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दि० 22.01.21 को उपस्थापित करें।

अनु० 20570
डुमरी।



अनु० 20570
डुमरी।

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 160/2020-21

महेन्द्र ठाकुर वगै. -बनाम- कारू ठाकुर वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 107)

का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पत्राधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं तिथि
1	2	3
24.05.21	<p>अभिलेख उपस्थापित। निमियोघाट थाना अप्राथमिकी संख्या 79/2020 दिनांक 16.11.2020 द्वारा उभय पक्षों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्राप्त है।</p> <p>निर्गत नोटिस के आलोक में कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष उपस्थित रहे। निमियोघाट थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है जिसके कारण काफी तनाव बना हुआ है।</p> <p>प्रथम पक्ष के द्वारा कार्यवाही के दौरान कारणपृच्छा समर्पित किया गया है। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया।</p> <p>प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा मौजा लोहेडीह, खाता नं. 56, प्लॉट नं. 551, रकबा 42डी. भूमि पर अवस्थित जर्जर मकान को तोड़कर उसका पुर्ननिर्माण कार्य किया जा रहा था जिसमें द्वितीय पक्ष के लोग हरवे हथियार से लैस होकर जबरन निर्माण कार्य पर रोक लगा दिए। इस हेतु दिनांक 21.01.21 को स्थानीय स्तर पर पंचायत किया गया है।</p> <p>निमियोघाट थाना से वर्तमान तिथि तक उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रु. के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव कालअवधि बाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p> <p>  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p>	